

अनुमति की शर्त ।

- (i) उक्त भवन/सूचना के निर्माण की स्वीकृति स्वयंसेवक निगम को करनी है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (व्यक्तिगत, राजकीय, सरकारी या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत भवनों के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

फाल्गुन क्रि.श. केवल आवासीय प्रयोजन के लिए

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 742 दिनांक 23/10/2020

पं० 11
आवासीय

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009
धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश
कर स्वनिर्धारण राशि रूपये 21737/- जमा
जरिये रसीद संख्या 9669/323, 324
दिनांक 23/10/2020 को जमा करा दी है ।

मंगर लाल जोशी
पा.सं. 7 अ. 6/ चौपालनी
शुक्रगिरी रोड

दिनांक 26/10/2020

Gurpreet Singh Jodha

सहायक नगर नियाजक
नगर निगम, जोधपुर

516 Defence Colony
K.N. Nagar Jodhpur

9414136069

(Signature)